कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कृषि यन्त्र/कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्र, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब् फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना इत्यादि पर अनुदान प्राप्त करने हेतु यंत्र बुकिंग प्रक्रिया।

अनुदान पर उपलब्ध कृषि यन्त्र

I. **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत**–लेजर लैण्ड लेवलर, पौटैटो प्लान्टर, पौटैटो डिगर, ग्राउण्ड नट डिगर, ग्राउण्ड नट पॉड स्ट्रीपर, शुगरकेन कटर प्लान्टर, शुगरकेन थ्रेस कटर, न्युमेटिक प्लान्टर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर,स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, क्लीनर कम ग्रेडर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, मल्टीकाप थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर ट्रेक्टर पॉवरड (विदआउट ट्रेक्टर), पावर टीलर, पावर वीडर, किसान ड्रोन, कम्बाइन हार्वेस्टरविद सुपर एस0एम0एस0, ट्रेंच प्लांटर/मैकेनिकल ट्रेंच प्लांटर/शुगर केन सेटलिंग प्लांटर, पॉवर ऑपरेटेड शुगर केन सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, शुगरकेन रैटून मैनेजर, शुगरकेन पॉवर वीडर/इंटर रो कम इंट्रा रो वीडर (पी0टी0ओ0 ऑपरेटेड),कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब् फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक, इत्यादि।

II. **फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्तर्गत**–सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सर्फेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम0बी0 प्लाऊ, मिनी/मीडियम बेलिंग मशीन, बिग बेलिंग मशीन, स्टॉ रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउन्टेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर इत्यादि यन्त्र की बुकिंग की जायेगी।

III. **त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत**– मेज सेलर, पॉपिंग मशीन, एवं बैच ड्रायर की बुकिंग की जायेगी।

IV. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत** – थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्मॉल गोदाम की बुकिंग की जायेगी।

V. **कृषि रक्षा योजना के अन्तर्गत** – नैप सेक स्प्रेयर (मानव चालित) एवं नैप सेक स्प्रेयर (पॉवर चालित) , की बुकिंग की जायेगी।

VI. **नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयलसीड्स) 2025–26 योजनान्तर्गत**– ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट एवं मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की बुकिंग की जायेगी।

VII. **विभाग के नव विकसित दर्शन पोर्टल**–www.agridarshan.up.gov.inलिंक पर किसान कॉर्नर के अन्तर्गत "**यंत्र बुकिंग प्रारम्भ**" पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

VIII. कृषि यंत्रों के आवदेन हेतु बुकिंग किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा यदि पोर्टल पर मोबाइल नम्बर उपलब्ध नहीं है अथवा बन्द है, तो लाभार्थी के नये मोबाइल नम्बर को अपडेट करने हेतु आधार रजिस्टर्ड मो0 नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करआगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जायेगा।

IX. आवेदक द्वारा एक मोबाइल नम्बर अपना अथवा अपने परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र वधू) का ही मोबाइल नम्बर अपडेट किया जा सकेगा। एक मो0नं0 से एक से अधिक कृषक पंजीकरण में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगी।

X. रू0 10000/– तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरणों हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा तथा कृषि यंत्रों का बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किये जाने की दशा में बुकिंग स्वतः निरस्त हो जायेगी, और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

रू0 10000/– से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों के आवेदन हेतु बुकिंग प्रकिया–

- एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यन्त्रों मे से अधिकतम किसी दो यन्त्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यन्त्रों के अतिरिक्त सम्बन्धित को ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यन्त्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नही होगी।
- समस्त प्रकार के कृषि यन्त्रों पर मूल्य का अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत (कृषक श्रेणी के अनुसार) एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर(परियोजना लागत रू0 10 लाख), हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग (परियोजना लागत रू0 100 लाख)पर अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान। फार्म मशीनरी बैंक(परियोजना लागत रू0 10 लाख) एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (इन–सीटू योजना) (परियोजना लागत रू0 30 लाख) पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान।
- कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण हेतु कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) एवं ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यन्त्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 5 लाख जो भी कम हो देय होगा।
- कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्षेत्र के कृषकों को कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने का बाण्ड भी भर कर देना होगा।
- योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों हेतु कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs)जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM)एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित होंतथा एफ0पी0ओ0 लाभार्थी होंगे।
- ई–लाटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को सम्बन्धित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
- इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई–लाटरी के माध्यम से विकासखण्डवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
- ई–लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। लक्ष्य की पूर्ति नही होने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई–लाटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
- आवेदन के समय ही कृषक को यन्त्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई–लाटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषकों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जायेगी।

– रू0 10001 (दस हजार एक) से रू0 100000 (एक लाख) तक अनुदान के कृषि यन्त्रों हेतु बुकिंग धनराशि रू0 2500/– होगी।

– रू0 100000 (एक लाख) से अधिक अनुदान के कृषि यन्त्रों हेतु बुकिंग धनराशि रू0 5000/– होगी।

- लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यन्त्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नम्बर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जायेगा।
- कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) का upfposhakti.comपोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। इस विज्ञापन दिनांक से कम्पनी/सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत, विभाग के एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं सक्रिय होना तथा सदस्य अंशधारको की न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है।
- निर्धारित मानक के यन्त्रों को upyantratracking.inपोर्टल पर पंजीकृत यन्त्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इनवेन्ट्री में से किसी से भी क्रय करने की स्वतन्त्रता होगी।

Scanned with OKEN Scanner

- निर्धारित समयावधि में यन्त्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल www.agridarshan.up.gov.inपर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा बनाई गयी प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जायेगा।
- कृषि यन्त्रों के क्रय हेतु फर्मो को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नही हैं जिन्हें चेक बुक जारी नही हो सकता है, ऐसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यन्त्रों के क्रय हेतु फर्मो को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।
- संबंधित कृषक का उसके द्वारा प्राप्त किये गये उपकरण के साथ उसके निवास पर एवं संस्था की दशा में उसके कार्यकारी अधिकारियों का संस्था द्वारा प्राप्त किये गये उपकरण के साथ संस्था के कार्यालय पर फोटोग्राफ अपलोड किया जायेगा।
- संबंधित कृषक/संस्था की ओर से इस आशय का घोषणा पत्र की उसके द्वारा यंत्र प्राप्त किया गया है, अपलोड किया जायेगा।
- ट्रैक्टरों और कम्बाइन एवं सुपर सीडर आदि बड़े यंत्रों पर उ0प्र0 सरकार का लोगो सहित पेन्ट कृषि विभाग द्वारा अनुदानित प्रतिशत का स्थायी रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा।
- कृषि यन्त्र अनुदान वितरण प्रकिंया में शासनादेश संख्याः– 48/2025/403/1918166/12–2099/119/2025–559/2025 दिनांक–02.06.2025का परिपालन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक: 02 जून, 2025**

विषय:सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजना एवं कृषि यन्त्रीकरण से सम्बन्धित कार्यमद के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-अभि0/56/शासन पत्रा0/2025-26, दिनांक 04 अप्रैल 2025 तथा अभि0/185/शासन पत्रा0/2025-26, दिनांक 02 मई 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मैनेजमेन्ट आफ काप रेज्ड्यू योजना एवं कृषि यन्त्रीकरण की अन्य योजनाओं के सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मई 2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार रिंग पिट डिगर, ट्रैंच प्लान्टर तथा सीड ट्रीटमेन्ट डिवाइस, केन हार्वेस्टर, रैटून मैनेजर एवं सुगरकेन पावर वीडर के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को सम्मिलित करते हुए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजना एवं कृषि यन्त्रीकरण की अन्य योजनाओं के सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1 लाभार्थी चयन एवं अनुदान वितरण की प्रक्रिया-

1.1- रू0 10000 (दस हजार) तक देय अनुदान वाले यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण हेतु बुकिंग के माध्यम से लाभार्थी चयन प्रक्रिया-

i. रू0 10000 (दस हजार) तक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्र/कृषि रक्षा उपकरणों हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा तथा कृषि यंत्र का बिल बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किये जाने की दशा में बुकिंग स्वतः निरस्त हो जायेगी और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जायेगा।

ii. रू0 10,000 (दस हजार) तक अनुदान वाले कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण के वितरण हेतु जनपद में कृषक मेले/गोष्ठी आयोजित कर कृषकों को बुकिंग की सुविधा प्रदान करके बुकिंग की जानकारी देकर प्रेरित किया जाय। इसके लिए विभाग के स्टॉल पर विभागीय कर्मचारी/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से बुकिंग की सुविधा दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

iii. कृषि विभाग द्वारा कियान्वित समस्त योजनाओं के अन्तर्गत रू0 10,000 (दस हजार) तक अनुदान वाले कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण के यंत्रवार लक्ष्य निर्धारित न करके योजनावार समेकित लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

<u>1.2- रू0 10,000 (दस हजार) से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्र/कृषि रक्षा उपकरण इत्यादि हेतु ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थी चयन प्रक्रिया-</u>

i. रू0 10,000 (दस हजार) से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्र/कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्माल गोदाम के सम्बन्ध में ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाये।

ii. लाभार्थियों का चयन विभागीय पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की श्रेणीवार/यन्त्रवार /जनपदवार, विकासखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पोर्टल पर आवेदन एक निर्धारित समयावधि (न्यूनतम दो सप्ताह) तक प्राप्त किये जाने हेतु व्यवस्था बनाई जाये।

iii. आवेदन के समय ही कृषक को यन्त्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। ई-लाटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषक को जमानत धनराशि अधिकतम छः माह में वापस कर दी जायेगी। प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषक की जमानत धनराशि लक्ष्य अवशेष न रहने पर वापस की जायेगी।

- रू0 10001/- (दस हजार एक) से रू0 100000/- (एक लाख) तक अनुदान के कृषि यन्त्र/ कृषि रक्षा उपकरण हेतु जमानत धनराशि रू0 2500 / - (पच्चीस सौ) होगी।
- रू0 100000/- (एक लाख) से अधिक अनुदान के कृषि यन्त्र, स्माल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत धनराशि रू0 5000 /- (पाँच हजार) होगी।

iv. ई-लाटरी हेतु यंत्रों की बुकिंग के अन्तिम दिवस के अगले कार्य दिवस को योजनावार, मदवार, यंत्रवार, जनपदवार एवं विकासखण्डवार आवेदकों की सम्पूर्ण सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाये ।

v. किसी भी मद/यन्त्र में विकासखण्ड स्तर पर, जनपदस्तर पर एवं राज्य स्तर पर लक्ष्य से बराबर या कम आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदन विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्वतः कन्फर्म कर दिया जायेगा। यदि किसी योजना में प्रदेश/जनपद के कुल कृषि यन्त्रों के लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त कुल आवेदन कम होते हैं, उस स्थिति में योजनान्तर्गत बहुउपयोगी ऐसे कृषि यन्त्रों के लक्ष्यों का परिवर्तन क्षेत्रवार उनकी उपयोगिता/आवश्यकता के दृष्टिगत समानुपातिक रूप में अन्य ऐसे कृषि यन्त्र जिसमें प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी है की प्रतीक्षा सूची को कमवार कुल वित्तीय परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने एवं तद्नुरूप लक्ष्यों को कृषि निदेशक उ०प्र० स्तर से संशोधित किया जा सकेगा।

vi. इच्छुक लाभार्थी/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डी0एल0ई0सी0) के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाये, जिसमें डी0एल0ई0सी0 के सदस्यों के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0 सी0) या एन0आई0सी0 के अन्य नामित अधिकारी भी सदस्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

vii. ई-लाटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों के मध्य सम्बन्धित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाये।

viii. ई-लाटरी प्रक्रिया की वीडियों ग्राफी भी करायी जाये, जिसका व्यय कृषि यन्त्रीकरण की योजनाओं के अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

ix. ई-लाटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 300 प्रतिशत तक कमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाये।

x. ई-लाटरी व्यवस्था में योजनावार, मदवार, यंत्रवार, जनपदवार एवं विकासखण्डवार चयनित लाभार्थियों एवं 300 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर अलग-अलग प्रदर्शित की जाये।

xi. लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लाटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाये।

1.3- लाभार्थियों के चयन के उपरान्त निर्धारित समय के अन्तर्गत यन्त्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड करने का उत्तरदायित्व चयनित कृषक का स्वयं का होगा।

1.4- लाभार्थी के चयन के उपरान्त निर्धारित समयावधि में बिल अपलोड नहीं करने की दशा में टोकन मनी/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पोर्टल पर चयनित सूची से लाभार्थी के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार नये लाभार्थी का नाम स्वतः प्रदर्शित होगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लाभार्थी को टोकन कन्फर्म होने/लाभार्थी चयन के सम्बन्ध में तत्समय स्वतः पोर्टल से पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज भेजा जायेगा एवं प्रतीक्षा सूची कन्फर्म होने की सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करायी जाये।

1.5- आवेदक द्वारा एक मोबाइल नम्बर अपना अथवा अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) से ही टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाये। एफ0पी0ओ0 की स्थिति में आवेदक एफ0पी0ओ0 के निदेशक के मोबाइल नम्बर से ही टोकन प्राप्त किया जा सकेगा।

1.6- संबन्धित योजना की कार्ययोजना के अनुसार कृषक एवं कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) लाभार्थी होंगे।

1.7- समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु बुकिंग एवं ई-लाटरी व्यवस्था में आवेदन किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० प्राप्त करने का विकल्प होगा यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर बन्द होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० प्राप्त कर आगे की प्रकिया पूर्ण करने का विकल्प रहेगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि लाभार्थी वेरिफिकेशन हेतु बायोमेट्रिक व्यवस्था आरम्भ नही होती है।

1.8- लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यन्त्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यन्त्र की फोटो एवं सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा। (कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु 45 दिन का समय दिया जायेगा)। यदि समयान्तर्गत क्रय कर बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड नही कराया जाता है तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरीयता कमानुसार कृषक का चयन किया जायेगा। निर्धारित मानक के यन्त्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत तथा विभाग में इम्पैनल्ड कृषि यन्त्र निर्माताओं में से किसी भी निर्माता/उसके विक्रेता से क्रय करने की स्वतन्त्रता होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

1.9- लाभार्थी द्वारा यंत्र क्रय करने हेतु लाभार्थी अंश के सापेक्ष बैंक से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में पोर्टल पर बिल/अभिलेख अपलोड करते समय बैंक ऋण का सम्पूर्ण विवरण फीड किया जाना अनिवार्य होगा। यन्त्र विक्रेता को अपने खाते से कृषक द्वारा कृषक अंश के भुगतान सम्बन्धी विवरण भी यन्त्र के बिल एवं ई-वे बिल के साथ अपलोड करना होगा।

1.10- कृषि यन्त्रीकरण योजना में अनुदान हेतु उपलब्ध कृषि यन्त्रों के अतिरिक्त अन्य बहुउपयोगी एवं नई नकनीकी के कृषि यन्त्रों की मॉग/उपयोगिता के दृष्टिगत अनुदान पर वितरण हेतु कृषि निदेशक के अनुमोदनोपरान्त कार्य योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसकी अनुदान धनराशि योजना के फ्लेक्सी फण्ड मद से दी जायेगी। कार्य योजना में ऐसे ही यन्त्र सम्मिलित किये जा सकते हैं, जो भारत सरकार की जारी गाइड लाइन में अनुदान हेतु उपलब्ध हैं ।

1.11. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर 31 मार्च को प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं गत वर्ष के लक्ष्यों सापेक्ष बुकिंग का आगामी वर्ष के लक्ष्यों के लिए कोई महत्व नही होगा।

2. **सत्यापन व डी0बी0टी0-**

i. कृषि यन्त्र/उपकरण क्रय के सत्यापन की व्यवस्था जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा नामित कर्मचारी/अधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी। सत्यापनकर्ता को किसान द्वारा क्रय किये गये यन्त्र पर किसान का दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध किसान का पंजीकरण संख्या, नाम तथा गाँव एवं विकासखण्ड के नाम का उल्लेख परमानेन्ट मार्कर से करते हुये अपना हस्ताक्षर करना होगा।

ii. कृषि यन्त्रीकरण की योजनाओं रू0 10,000 (दस हजार) तक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों को निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक विकास खण्ड स्तर पर स्थित राजकीय बीज गोदाम पर स्टाल लगाकर तथा कृषि गोष्ठी, किसान मेला, किसान कल्याण अभियान में अनुदान पर वितरित किये जायें। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर ही उप कृषि निदेशक द्वारा मौके पर यन्त्र हेतु ऑनलाइन बुकिंग, बिल अपलोड, सत्यापन एवं सत्यापन रिपोर्ट अपलोड की व्यवस्था करानी होगी।

iii. एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मैनेजमेन्ट आफ काप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत निर्धारित यंत्रों में से एक या एक से अधिक भिन्न प्रकार के यन्त्र लिये जा सकते हैं।

iv. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं कृषि यन्त्रीकरण की अन्य योजनाओं में एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यन्त्रों में से अधिकतम किसी दो यन्त्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यन्त्रों के अतिरिक्त सम्बन्धित को ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यन्त्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नही होगी।

v. जिन कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त होगा, मानव चालित/पशुचालित कृषि यंत्रों पर 03 वर्ष तक पुनः अनुदान अनुमन्य नही होगा, इसी प्रकार शक्ति चालित कृषि यन्त्रों पर 05 वर्ष की अवधि के पश्चात ही सम्बन्धित कृषक पुनः उसी प्रकार के कृषि यन्त्र हेतु अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु अर्ह होगा। स्थापित किये गये फार्म मशीनरी बैंक, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर के साथ अथवा अलग से क्रय किये गये ट्रैक्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर को लाभार्थी द्वारा 10 वर्ष के उपरान्त ही पुनः अनुदान पर क्रय किया जा सकेगा।

vi. कृषक/सहकारी समिति/एफ0पी0ओ0 द्वारा यदि कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त किया गया है तो उसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

निदेशक को व्यक्तिगत एफ0पी0ओ0 के माध्यम से उक्त परियोजनाओं पर पुनः लाभ नही दिया जायेगा। यदि वर्तमान स्वीकृति परियोजना में वे यन्त्र सम्मिलित हैं, जिन पर पूर्व में उसकी संस्था द्वारा लाभ दिया गया है। अथवा उसके द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में लाभ लिया गया है उस दशा में वर्तमान परियोजना में उन यन्त्रों हेतु उन्हें अनुदान का लाभ देय नही होगा, शेष अतिरिक्त परियोजना भाग पर कार्य योजनानुसार अनुदान देय होगा।

vii. एफ0पी0ओ0 की स्थिति में उसका सोसाइटी पंजीकरण एक्ट/कम्पनी एक्ट में विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा एफ0पी0ओ0 के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 (एक सौ) होने पर ही एफ0पी0ओ0 योजना का लाभ हेतु पात्र होगा।

viii. एफ0पी0ओ0 के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 (एक सौ) होने पर ही एफ०पी०ओ० योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। एफ0पी0ओ0 के सदस्यों की संख्या की पुष्टि उनके शेयर धारक प्रमाण पत्र तथा जमा की गयी अंश पूँजी की रसीद/खाता विवरण के आधार पर की जाये।

ix. स्थलीय सत्यापन के समय ही कृषक के समस्त अभिलेख प्राप्त/मिलान कर लिये जायें, इस हेतु कृषक को कार्यालय में आने हेतु बाध्य ना हों, यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित उप कृषि निदेशक एवं सत्यापन अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

x. कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत रूपया 10,000 (रूपये दस हजार) से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के अनुदान धनराशि का निर्धारण एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कृषि विभाग में जनपद स्तर पर कार्यरत किसी भी कार्यालय के अपर अभियंता/तकनीकी सहायक ग्रुप-ए से बिलों का अभिलेखीय मिलान तथा योजनानुसार देय अनुदान की पुष्टि करायी जाये ।

xi. लाभार्थियों के द्वारा बिल एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जिस क्रम में विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, उसी क्रम में जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उन लाभार्थियों के यंत्रों का सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा।

xii. अभिलेख अपलोड करने की तिथि से दो सप्ताह में यंत्र एवं अभिलेखों का सत्यापन किया जाना होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी यंत्र की अक्षांश (Latitude) एवं देशांतर (Longitude) युक्त फोटो खींच कर विभागीय पोर्टल पर यन्त्रों के सीरियल नं0 फीड करेंगे एवं अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करेंगे। रू0 10,000 (दस हजार) तक अनुदान वाले कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण की स्थिति में सीरियल नं0 फीड करने की अनिवार्यता नही होगी।

xiii. विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड करने के पश्चात 15 दिन में सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। नामित सत्यापन अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सत्यापन नही किया जाता है तो उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही करते हुए उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी जा सकती है और उनका वेतन भी अवरूद्व किया जा सकता है।

xiv. अगर बिल अपलोड करने पश्चात् सत्यापन के समय मौके पर यन्त्र नही मिलता अथवा यन्त्र के सीरियल नम्बर, मानक, प्रकार, या अभिलेखों में अन्तर पाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर उस विक्रेता को भी ब्लैक लिस्ट किया जायेगा, जिसके द्वारा इस प्रकार का फर्जी बिल निर्गत किया गया।

xv. रू0 10000 (दस हजार) तक अनुदान वाले कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण को छोड़कर शक्ति चालित समस्त कृषि यन्त्रों में यूनिक सीरियल नम्बर डालना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे इनवैलिड मानकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही की जायेगी। ट्रैक्टर तथा अन्य स्वचालित कृषि यन्त्र जिन पर इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर उभरे हुये अंकित हों, उन्हें स्वीकार किया जायेगा।

xvi. निर्धारित समयावधि में यन्त्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा। यह व्यवस्था पोर्टल पर ही होगी तथा प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जायेगा और उसे सन्देश जायेगा।

xvii. कृषि यन्त्र/कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक का सत्यापन होने के उपरान्त जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा 03 कार्यदिवस के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा तथा बजट की उपलब्धता की दशा में उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने के 03 कार्यदिवस के अन्दर डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान का भुगतान लाभार्थी को करना होगा। बजट नही होने की दशा में बजट प्राप्त होने के उपरान्त 03 कार्यदिवस के अन्दर डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान का भुगतान लाभार्थी को करना होगा।

xviii. निर्धारित समय के अन्तर्गत सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं होने एवं निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुदान का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में सम्बन्धित जनपदों का विवरण सम्बन्धित योजनाधिकारी की लॉगिन पर अलग-अलग प्रदर्शित किया जाये।

xix. उक्त के अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु लाभार्थियों से प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र/घोषणा पत्र की भाँति ही रू0 10000/- (दस हजार) से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के लाभार्थियों से इस आशय का शपथ पत्र/ घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि यदि अनुदान पर प्राप्त यन्त्र को 05 वर्ष के पूर्व बेचा जाता है, तो सम्बन्धित लाभार्थी को प्राप्त अनुदान की वसूली की जायेगी एवं लाभार्थी को विभाग द्वारा संचालित अन्य किसी योजना के लाभ से भी वंचित कर दिया जायेगा।

xx. रू0 50000 (पचास हजार) तक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों का सत्यापन जनपद में कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय एवं किसी भी वर्ग के प्राविधिक सहायक, अपर अभियन्ता अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी से कराया जा सकता है। रू0 50000/- (पचास हजार) से रू0 250000/- (दो लाख पचास हजार) तक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्रों/कषि रक्षा उपकरणों का सत्यापन किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने पर जनपद में कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों के प्राविधिक सहायक वर्ग-ए, बी, सी एवं अवर अभियन्ता में से किन्ही दो भिन्न वर्ग के कर्मचारियों की टीम बनाकर उनके माध्यम से कराया जा सकता है। रू0 250001/- (दो लाख पचास हजार एक) से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन रिपोर्ट उप कृषि निदेशक अनिवार्य रूप से प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

xxi. अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यापन हेतु नामित करते समय उप कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि एक ही सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी से 05 से अधिक कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग का सत्यापन नहीं कराया जाये। उक्तानुसार सत्यापन हेतु यदि जनपद में पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता न हो तो सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी के जनपद में कुल संख्या के आधार पर समानुपाती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

रूप से कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग का सत्यापन कराया जाये।

xxii. उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान भुगतान की आवश्यक कार्यवाही की जाय। कृषि यन्त्र क्रय करके बिल प्राप्त करने के दिनांक या दिनांक से पूर्व भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। बिल दिनांक के पश्चात का भुगतान मान्य नही होगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य भी लिये जायें। इस सम्बन्ध में कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये। कृषि यन्त्रीकरण की योजनाओं में रू0 10000/- (दस हजार) तक अनुदान वाले समस्त कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों को अनुदान पर क्रय किये जाने पर लाभार्थी को कृषि यन्त्रों के क्रय हेतु फर्मों को लाभार्थी के खाते से भुगतान करने का प्रतिबंध नही होगा।

xxiii. ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नही हैं, जिन्हें चेक बुक जारी नही हो सकता है। ऐसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यन्त्रों/कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। सत्यापन के समय चेक से हुए भुगतान की पुष्टि हेतु खाते से भुगतान का विवरण प्राप्त किया जाये।

xxiv. चयन की तिथि (टोकन कन्फर्म होने की तिथि) से पूर्व क्रय किये गये कृषि यन्त्रों पर अनुदान अनुमन्य नही होगा।

xxv. समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त अनुदान राशि नियमानुसार लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

xxvi. कृषि निदेशक/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक स्तर के समस्त अधिकारियों द्वारा तय मानक के अनुसार भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी ।

xxvii. सत्यापन अधिकारियों को जनपदस्तर/राज्य स्तर पर आवश्यकतानुरूप सत्यापन सम्बन्धी प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किये जा सकते हैं। जिन पर व्यय फ्लेक्सी फण्ड मद से किया जायेगा।

3. <u>सत्यापन के समय ध्यान देने हेतु आवश्यक बिन्दु-</u>

i. कृषि यन्त्रीकरण के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेंटर एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि यन्त्र प्रत्येक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आपूर्तित कृषि यंत्रों पर योजना का नाम, वर्ष तथा जनपद का नाम, कृषि यन्त्र पर पेन्ट से लिखवाया जाना अनिवार्य होगा तथा सत्यापन के समय रू0 10,000/- (दस हजार) से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों के विक्रय बाउचर पर अंकित सीरियल नम्बर का मिलान यन्त्रों पर उत्कीर्ण (Embossed/Laser cutting) सीरियल नम्बर से करते हुये सत्यापन रिपोर्ट पर अवश्य अंकित किया जाये।

ii. रू0 10,000 (दस हजार) से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों का भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

iii. प्रदेश के सभी जनपद में योजनान्तर्गत देय लाभों व प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि किसानों को योजना की समुचित जानकारी प्राप्त हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

iv. कृषि यन्त्रों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत क्रय किये गये यन्त्रों के सत्यापन के समय ही "FARMS Mobile App" पर कृषि यन्त्रों का विवरण सत्यापनकर्ता द्वारा अपलोड किया जायेगा।

v. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के निरीक्षण तथा सत्यापन समय अभिलेखों का विशेष निरीक्षण किया जाएगा तथा सुझाव भी अंकित किये जायेंगे। शासनादेश संख्या-1430/12-3-2020-100(30)/2018, दिनांक–06 अक्टूबर 2020 के अनुसार यंत्रों के क्रय में किसी प्रकार के दुरूपयोग एवं डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सत्यापन के दौरान बिल में अंकित यंत्र का सीरियल नंम्बर उत्कीर्ण (Embossed) अथवा लेजर कटिंग एवं निर्माता कम्पनी का नाम अवश्य चेक किया जाये। यंत्रों की दशा भी देखी जाए कि यह यंत्र नया है अथवा पुराना या चला हुआ तो नही है। यदि यन्त्र पुराना प्रतीत होता है तो यह चेक कराया जाए कि यंत्र का सी०एम०एल० नम्बर/सीरियल नम्बर पूर्व में क्रय तो नही किया गया है। ऐसी दशा में सम्बन्धित यंत्र का ई-वे बिल डीलर के यहाँ चेक किया जाए तथा इसका यंत्रानुसार मिलान व्यापार कर विभाग से जी0एस0टी0 में प्रस्तुत विवरण कराया जाए। उपरोक्त प्रक्रिया हेतु कृषक को किसी भी दशा में परेशान न किया जाए।

4. **<u>अनुदान पर वितरित किये जाने वाले यंत्रों की विशिष्टियाँ/मानक का निर्धारण–</u>**

भारत सरकार के केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों, अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा परीक्षण किये गये कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। रू0 10,000/- (दस हजार) तक अनुदानित यंत्रों को भारतीय मानक व्यूरो/आई०एस०आई०/उपरोक्त उल्लिखित संस्थाओं द्वारा यंत्रों का परीक्षण कर पास किया गया हो ।

5. **<u>जी०पी०एस० की अनिवार्यता :-</u>**

योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले स्वचालित समस्त कृषि यंत्रों/मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टीलर, पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर कम बाइण्डर, राइस ट्रान्स प्लान्टर आदि अन्य यंत्रों में जी०पी०एस० ट्रैकिंग की सुविधा तकनीकी रूप से प्रचलित है, ऐसे सभी यंत्रों को उक्त जी०पी०एस० सुविधा के साथ ही क्रय किया जायेगा। साथ ही संबंधित लाभार्थी द्वारा अनुरक्षित रखी जायेगी तथा विभाग द्वारा इस विषयगत बनायी गयी आई०टी० सिस्टम में उक्त जी०पी०एस० के माध्यम से संकलित होने वाले डाटा हेतु सतत् रूप से पूर्ण सहयोग किया जायेगा और स्वयं अपने खर्चे पर उपरोक्त जी०पी०एस० का डाटा विभाग के उक्त पोर्टल हेतु लाभार्थी/एफ०पी०ओ० से शपथपत्र या बान्ड भराने की व्यवस्था भी की जाये, जिससे इसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके।

6. **<u>अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्वः-</u>**

i. कार्य योजना में जनपदवार कृषि यंत्रों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर/कृषि रक्षा उपकरणों के लक्ष्य कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित किए जायेंगे तथा आवश्यकतानुसार उनके स्तर से ही इनमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

ii. कृषि यंत्रों के भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की समय से पूर्ति शत-प्रतिशत करने के लिए पूर्ण-रूपेण उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।

iii. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/टास्क फोर्स अधिकारी भ्रमण के समय/जनपद स्तर पर कृषि यंत्र वितरण की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

iv. संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, कृषि भवन, लखनऊ कृषि यंत्रों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे।

v. शासनादेश संख्या-93/2023-1551-2023-1703519/12-2005(002)/23/2023, दिनांक 07.11. 2023 द्वारा कृषि निदेशालय स्तर पर गठित समिति के द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यन्त्रीकरण की समस्त योजनाओं में आ रही समस्याओं/लिपिकीय त्रुटि के निस्तारण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

vi. वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता अपने मण्डल के समस्त जनपदों में स्थापित फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की शतप्रतिशत् सत्यापन कर रिपोर्ट/आख्या अपने मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशालय, उ0प्र0 अभियन्त्रण अनुभाग को प्रेषित करेंगें। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि यन्त्रों का 20 प्रतिशत सत्यापन भी मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

vii. जनपदीय उप कृषि निदेशक अनुदान भुगतान के उपरान्त समय-समय पर अपने जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से वितरित कृषि यन्त्रों का 20 प्रतिशत रेन्डम सत्यापन एवं फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर शतप्रतिशत सत्यापन करायेंगे। वह स्वयं कम से कम 10 प्रतिशत सत्यापन अवश्य करेंगे।

viii. समस्त अपर कृषि निदेशक, समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) एवं उप कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण) रेन्डम सत्यापन करेंगे। इस संबन्ध में शासनादेश संख्या-305/ए0सी0एम0–ए0जी0/2023, दिनांक 12 मई 2023 में दिये गय लक्ष्यों के अनुसार समीक्षा तथा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि विभिन्न स्तर पर रैंडम भौतिक सत्यापन करते समय अधिक से अधिक लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सके तथा डुप्लीकेसी न हो।

ix. जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों के मध्य upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों के अधिकृत विक्रेता से ही कृषि यंत्र क्रय किये जाये, का प्रचार प्रसार कराया जाये। upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों के अधिकृत विक्रेता के अतिरिक्त अन्य किसी भी निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रीब्यूटर एवं विक्रेता से कृषकों द्वारा क्रय किये गए कृषि यंत्रों पर अनुदान देय नही होगा।

x. **upyantratracking.in** पोर्टल पर कृषक लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये यन्त्रों का विवरण और बिल विक्रेता के द्वारा फीड किये जायेंगे। सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे एवं विक्रेता द्वारा फीड किये गये विवरण के अनुसार कृषि यन्त्रों के स्थलीय सत्यापन में प्राप्त विवरण से मिलान कर मोबाइल के माध्यम से फोटो खीचकर upyantratracking.in पोर्टल/ऐप के माध्यम से सत्यापित करेंगे तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रिन्ट कर हस्ताक्षर सहित अपने जनपद करेंगे।

xi. उप कृषि निदेशक को प्रेषित upyantratracking.in पोर्टल के सुचारू संचालन, अपग्रेड का व्यय योजना के फ्लेक्सी फण्ड से किया जायेगा।

xii. समयान्तर्गत कृषि यंत्र क्रय करने की जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी तथा सत्यापन के समय यंत्र उपलब्ध न होने की दशा में लाभार्थी का अनुदान दावा निरस्त करते हुए कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

xiii. बिल एवं अभिलेख अपलोड करने के 15 दिवस के अन्तर्गत उसी वरीयता क्रम में यंत्र का सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने की जिम्मेदारी जनपदीय उप कृषि निदेशक की होगी। यदि यंत्र के सत्यापन और सत्यापन रिपोर्ट को अपलोड करने की प्रकिया में किसी प्रकार का व्यक्तिकम पाया जाता है, तो सम्बन्धित उत्तरदायी कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

xiv. जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा कस्टम हायरिंग सेन्टर/एफ0एम0बी0/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग के लाभार्थियों के अनुदान का भुगतान मशीनों के रख-रखाव हेतु शेड, 10 वर्ष के लिए वैध पट्टे की भूमि एवं फार्म मशीनरी संचालन हेतु आवश्यक अभिलेखों (यंत्र रजिस्टर, निर्धारित यंत्रवार किराया, यंत्र मूवमेंट रजिस्टर, बहिखाता इत्यादि) उपलब्ध होने पर किया जाए।

xv. जनपदों में अब तक स्थापित फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग के समस्त लाभार्थियों की सूची पते तथा मोबाइल नम्बर के साथ उप कृषि निदेशक कार्यालय में तथा विकास खण्ड प्रांगण एवं कृषि कल्याण केन्द्र या बीज गोदाम पर लगायी जाये।

xvi. बैंक से ऋण लेने की दशा में फार्म मशीनरी बैंक/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/ कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी को ऋण की धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत लागत स्वयं वहन करनी होगी तथा लाभार्थी अंश के ऋण पर कृषक उत्पादन संगठनों/कृषकों को कृषि अवस्थापना कोष (एग्रीकल्चरल इन्फास्ट्रक्चर फण्ड) तथा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना से नियमानुसार 06 प्रतिशत के ब्याज में छूट का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

xvii. यन्त्रीकरण की योजना में सम्मिलित नये कृषि यन्त्रों का जनपद स्तर पर प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यम से यथा प्रेस नोट, गोष्ठी, किसान पाठशाला आदि के द्वारा व्यापक रूप से कराया जाये, जिससे इच्छुक लाभार्थी कृषक अपना पंजीकरण करा सकें।

xviii. कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) का upfposhakti.com पोर्टल पर पंजीकृत एवं सकिय होना अनिवार्य होगा।

xix. जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति (डी०एल०ई०सी०) फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर के उपकरणों/कृषि यन्त्रों के संचालन के लिए एक युक्ति-संगत किराये की सीमा निर्धारित करेगा, जो प्रचलित बाजार दर से कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु 10 प्रतिशत एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु 20 प्रतिशत कम होगा। लाभार्थी/एफ0पी0ओ0 से शपथ पत्र या बान्ड कराने की व्यवस्था भी की जाये। जिससे इसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके।

xx. कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी/सगंठन/समिति द्वारा प्रत्येक फसली वर्ष में न्यूनतम 300 कृषकों के 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्रों का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। जिसका विवरण एक पंजिका में संरक्षित किया जायेगा। इसके लिए लाभार्थी/एफ0पी0ओ0 से शपथ पत्र या बान्ड कराने की व्यवस्था भी की जाये। जिससे इसका कियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके।

xxi. कृषि यंत्र कृषकों को किराये पर देते समय व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी द्वारा किराये पर दिए जाने वाले यंत्रों से कम से कम 50 प्रतिशत प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को तथा एफ0पी0ओ0 द्वारा कम से कम 75 प्रतिशत प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराए पर यंत्र उपलब्ध कराने में दी जाएगी।

7. पोर्टल पर निम्नवत् सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी:-

i. समस्त कृषकों का ओ०टी०पी० आधारित लॉग-इन होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

ii. योजना का संचालन करने वाले समस्त अधिकारियों को ओ०टी०पी० आधारित लॉग-इन होगा ।

iii. कृषक डेटा बेस में कोई भी बदलाव कृषक के द्वारा शपथ पत्र सहित दिये गये आवेदन के आधार पर अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् केवल अधिकृत ओ०टी०पी० आधारित यूजर नेम द्वारा किया जायेगा।

iv. डेटा बेस में किसी भी बदलाव का लॉग रखा जाएगा, जिसमें बदलाव से पहले और बाद का विवरण, किसके द्वारा किस आई0पी0 एड्रेस द्वारा किया गया, उक्त का विवरण रक्षित होगा।

v. आवेदक द्वारा जिस लेपटॉप/कम्प्यूट/मोबाइल से आवेदन किया जाता है, उक्त का आई0पी0 एड्रेस रक्षित किया जायेगा ।

vi. कृषि यन्त्रीकरण की योजनाओं में योजनाधिकारियों द्वारा जनपदवार/यन्त्रवार निर्धारित लक्ष्य विभागीय पोर्टल पर फीड किये जायेंगे। पोर्टल पर फीड जनपदवार/यन्त्रवार कुल लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा विकासखण्डवार यन्त्रों/उपकरणों /कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक/थ्रेसिंग फ्लोर/स्माल गोदाम का विकासखण्डवार वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता का आंकलन करते हुये जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त यन्त्रवार/विकासखण्डवार लक्ष्य दर्शन पोर्टल पर फीड किये जायेंगे।

vii. upyantratracking.in पोर्टल की उपयोगिता को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत दर्शन पोर्टल से लिंक कराया जाये।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त फर्जी वितरण प्रदर्शित करने से रोकने के लिए निम्न व्यवस्थायें भी इस कार्यक्रम हेतु स्थापित की जायेगीं:-

i. संबंधित कृषक का उसके द्वारा प्राप्त किये गये उपकरण के साथ उसके निवास पर एवं संस्था की दशा में उसके कार्यकारी अधिकारियों का संस्था द्वारा प्राप्त किये गये उपकरण के साथ संस्था के कार्यालय पर फोटोग्राफ अपलोड किया जायेगा।

ii. संबंधित कृषक/संस्था की ओर से इस आशय का घोषणा पत्र की उसके द्वारा यंत्र प्राप्त किया गया है, अपलोड किया जायेगा।

iii. समस्त यंत्रों का सत्यापन जनपद में किया जायेगा व इन यंत्रों में से 10 प्रतिशत का पुनर्सत्यापन जिला कृषि अधिकारी द्वारा व 5 प्रतिशत का पुनर्सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा स्वयं किया जायेगा। सत्यापन कर्ताओं का नाम व पदनाम पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। प्रथम सत्यापन पोर्टल पर अपलोड करने के 15 दिनांक में व पुनर्सत्यापन एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

iv. मुख्यालय पर अभियंत्रण का कार्य देख रहे अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मुख्यालय से प्रत्येक जनपद में 5 प्रकरण जिनका पुनर्सत्यापन किया गया है तथा 5 ऐसे प्रकरण जिनका पुनर्सत्यापन नहीं किया गया है, का सत्यापन मुख्यालय द्वारा नामित उप निदेशक से अनिम्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। सत्यापन कर्ताओं का नाम व पदनाम पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

v. ट्रैक्टरों और कम्बाइन एवं सुपर सीडर आदि बड़े यंत्रों पर उ0प्र0 सरकार का लोगो सहित पेन्ट कृषि विभाग द्वारा अनुदानित प्रतिशत का स्थायी रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in
Scanned with OKEN Scanner

रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या:48/2025/403(1)/1918166/12-2099/119/2025-559/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

2.समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

3.गार्ड बुक।

आज्ञा से
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner